रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122024-259411
CG-DL-E-14122024-259411

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4984] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2024/अग्रहायण 22, 1946
No. 4984] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2024/AGRAHAYANA 22, 1946

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5384(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) (पांचवा) संशोधन आदेश 2024 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन के तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 में, खंड 28 (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्

28 ख: निरिक्षक द्वारा लिया गया नमूना

(1) उर्वरक निरीक्षकों द्वारा एकत्र किए गए तीन नमूनों में से, एक नमूना यथा स्थिति डीलर या आयातक या निर्माता या पूल हैंडलिंग अभिकरण या विपणनकर्ता को दिया जाएगा, और दूसरा नमूना विश्लेषण के लिए खंड 29 के उपखंड (1) के

मद (ख) के अधीन अधिसूचित प्रयोगशाला के प्रभारी को भेजा जाएगा और तीसरा नमूना पदाभिहित प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(2) यदि नमूना केन्द्रीय सरकार के उर्वरक निरीक्षक या राज्य सरकार के उर्वरक निरीक्षक द्वारा संयुक्त निरीक्षण के दौरान लिया जाता है, तो तीन नमूनों में से एक नमूना यथा स्थिति, डीलर या आयातक या निर्माता या पूल हैंडलिंग अभिकरण या विपणनकर्ता को दिया जाएगा और दूसरा नमूना केंद्रीय कोडिंग केंद्र के माध्यम से चेन्नई, मुंबई या कल्याणी में किसी भी क्षेत्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा और तीसरा भाग केंद्रीय कोडिंग केंद्र के प्रभारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(3) यदि नमूना गैर-मानक रिपोर्ट किया जाता है तो रिपोर्ट प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, यथा स्थिति, डीलर या निर्माता या आयातक या पूल हैंडलिंग अभिकरण या विपणनकर्ता, उक्त आदेश, के खंड 28 (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पदाभिहित प्राधिकारी को या केन्द्रीय सरकार के उर्वरक निरीक्षकों द्वारा पुनः नमूना लिए जाने की स्थिति में प्रभारी कोडिंग सेल को विहित फीस और उर्वरक निरीक्षक द्वारा उसे उपलब्ध कराए गए नमूने के साथ आवेदन करेगा।

(4) यथा स्थिति, राज्य सरकार के पदाभिहित प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार के प्रभारी कोडिंग सेल तुरंत दो नमूनों में से किसी एक को जो डीलर या आयातक या निर्माता या पूल हैंडलिंग अभिकरण या विपणनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया और उसके पास अभिरक्षा में रखा, दूसरा नमूना, दूसरे विश्लेषण के लिए कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जयपुर और गाजियाबाद में किसी भी केंद्र परपरीक्षण के लिए राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कोडिंग केंद्र गाजियाबाद को भेजेगा।

(5) राष्ट्रीय परीक्षणशाला की रिपोर्ट को अंतिम माना जाएगा। यदि पहली और दूसरी विश्लेषण रिपोर्ट में भिन्नता है, अर्थात् नमूना विभिन्न मापदंडों में गैर-मानक रिपोर्ट किया गया है, तो यथा स्थिति, राज्य सरकार या प्रभारी कोडिंग केंद्र के पदाभिहित प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से अपने पास रखे नमूने को केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में तीसरे विश्लेषण के लिए भेज देंगे और ऐसे संस्थान की विश्लेषण रिपोर्ट को अंतिम माना जाएगा।

परन्तु जहां कि ऐसे मामले में जहां डीलर या निर्माता या पूल हैंडलिंग अभिकरण, जैसा भी मामला हो, खंड 28 ख के उप-खंड (3) के अधीन पंद्रह दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन नहीं करता है, तो पहले विश्लेषण की रिपोर्ट अंतिम होगी:

परन्तु जहां दोनों रिपोर्ट अर्थात पेहली विश्लेषण रिपोर्ट और दूसरी विश्लेषण रिपोर्ट में, नमूना एक सामान्य मापदंड में गैर-मानक घोषित किया जाता है, तो ऐसे मामले में कोई तीसरा विश्लेषण नहीं होगा और दूसरे विश्लेषण की रिपोर्ट को अंतिम माना जाएगा।

3. उक्त आदेश में खंड 29 में, उपखंड (1) में,

(i) मद (क) में," "खण्ड 28 ख के उप खण्ड (2) के अनुसार मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, गाजियाबाद और जयपुर में राष्ट्रीय परीक्षणशाला" शब्दों अंको, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा;

(ii) मद (ख) में, "खण्ड 28 ख के उप खण्ड (4) के अनुसार मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, गाजियाबाद और जयपुर में राष्ट्रीय परीक्षणशाला" शब्दों अंको, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त आदेश में खण्ड 29 (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"खण्ड 28 ख के उप-खण्ड (2) के अधीन उर्वरक के किसी नमूने के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर, कोलकाता तथा मुम्बई स्थित राष्ट्रीय परीक्षणशाला को रेफरी प्रयोगशाला के रूप में पदाभिहित किया जाएगा"।

5. उक्त आदेशमें, खंड 30 में, उपखंड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(4) यथा स्थिति, पदाभिहित अधिकारी या केंद्रीय कोडिंग प्रभारी, जब संबंधित निर्माता, डीलर, आयातकर्ता, पूल हैंडलिंग अधिकरण या विपणनकर्ता द्वारा रेफरी विश्लेषण के लिए आवेदन करने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर राष्ट्रीय परीक्षण शाला कोडिंग केंद्र गाजियाबाद में विश्लेषण के लिए नमूना भेजेगा

(5) रेफरी प्रयोगशाला में नमूना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर नमूने का विश्लेषण करेगी और परिणाम भी सूचित करेगी,

(6) केन्द्रीय सरकार का कोडिंग अधिकारी या पदाभिहित अधिकारी परिणाम प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर तीसरे विश्लेषण के लिए नमूना केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद को भेजेगा।

(7) प्रयोगशाला, प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर नमूने का विश्लेषण करेगी और रिपोर्ट तैयार होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर यथा स्थिति, संबंधित पदाभिहित प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार के कोडिंग अधिकारी को परिणाम सूचित करेगी।

8 पदाभिहित अधिकारी रेफरी रिपोर्ट, यदि रिपोर्ट अंतिम है या तीसरे विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों की अवधि के भीतर, संबंधित पक्ष को परिणाम सूचित करेगा"।

6. उक्त आदेश में, खंड 32 में, उप-खंड (3), उप-खंड (4) और उप-खंड (5) का लोप किया जाएगा।

7. उक्त आदेश में, खंड 32 क में, उप-खंड (3), उप-खंड (4) और उप-खंड (5) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 1-16/2022 उर्वरकविधि]

योगिता राना, सयुंक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक सा.का.नि. 758(अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार संख्यांक का. आ. 3922(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 13th December, 2024

S.O. 5384(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely: -

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Fifth) Amendment Order, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette

2. In the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 (hereinafter referred to as the said order, for clause 28B, the following clause shall be substituted namely: -

"28 B. sample drawn by the Inspector

(1) Out of the three samples collected by the Fertiliser Inspectors, one sample shall be given to the dealer or importer or manufacturer or pool handling agency or marketer, as the case may be and the second sample shall be sent to the in-charge of the laboratory notified under item (b) of sub- clause (1) of clause 29 and the third sample shall be kept in the custody of designated authority.

(2) In case the sample shall be drawn by the Fertiliser Inspector of the Central Government or by the State Fertiliser Inspector during joint inspection, out of three samples, one sample shall be given to the dealer or importer or manufacturer or pool handling agency or marketer, as the case may be, and the second sample shall be sent for analysis through the Central Coding Centre to any of the Regional Fertiliser Quality Control Laboratory at Chennai, Mumbai or Kalyani and the third sample shall be kept in the custody of the In-charge of such Central Coding Centre.

(3) In case the sample is reported as non-standard then within a period of fifteen days from the receipt of the report, the dealer or manufacturer or importer or pool handling agency or marketer, as the case may be, shall apply to the designated authority appointed by the State Government under clause 28 A of the said Order or to the in charge of the Central Coding Centre in case where the sample is drawn by the Central fertiliser Inspector for re-testing along with the prescribed fee and the sample provided to him by the Fertiliser Inspector.

(4) The designated authority of the State Government or the in charge Central Coding Centre of the Central Government, as the case may be, shall immediately send any of the two samples that is one submitted by the dealer or manufacturer or pool handling agency or importer or marketer and other lying in its custody to the National Test House, Ghaziabad Coding centre for testing at any of its Centre at Kolkata, Mumbai, Chennai, Jaipur and Ghaziabad for second analysis.

(5) The report of National Test House shall be treated as final and in case there is variance in first and second analysis report that is the sample reported as non-standard in different parameters, then the designated authority of state Government or the In-charge of Coding Centre, as the case may be, shall *suo motto* send the sample lying in their possession for third analysis at Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad and the analysis report of such Institute shall be treated as final:

Provided that in case where the dealer or manufacturer or pool handling agency, as the case may be, does not apply within the stipulated period of fifteen days under sub-clause (3) of clause 28B, then the report of first analysis shall be final:

Provided further that in case where the sample reports that is first analysis report and second analysis report are declared as nonstandard in a common parameter, in such case, there shall not any third analysis and the report of the second analysis shall be treated as final.

3. In the said order, in clause 29, in sub-clause (1),

(i) in item (a), the words, brackets, figures and letter "and the National Test House Laboratories at Mumbai, Chennai, Kolkata, Ghaziabad and Jaipur as per sub-clause (2) of clause 28B", shall be omitted

(ii) in term (b),the words, bracket, figure and letter "and the National Test House at Mumbai, Chennai, Kolkata, Ghaziabad and Jaipur as per sub-clause (4) of clause 28B", shall be omitted;

4. In the said order, for clause 29 B, the following shall clause be substituted, namely: -

"29B The National Test House at Chennai, Ghaziabad, Jaipur, Kolkata and Mumbai shall be designated as referee laboratory for the purpose of analysis of any sample of fertiliser under sub-clause (2) of clause28 B."

5. In the said order, in clause 30, after sub-clause (3), the following sub-clauses shall be inserted, namely: -

"(4) The designated officer or the Central Coding Centre incharge, as the case may be, shall send the sample for analysis at National Test House coding centre Ghaziabad, within a period of three working days from the date when the concerned manufacturer, dealer, importer, pool handling agency or marketer applied for referee analysis.

(5) The referee laboratory shall analyse the sample within a period of fifteen days from the date of receipt of sample in the laboratory and also communicate the results.

(6) The Coding officer of Central Government or designated officer shall within three working days shall send the sample to Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad for third analysis.

(7) The laboratory shall analyse the sample within a period of fifteen days from date of receipt and communicate the results to concerned designated authority or the coding officer of the Central Government, as the case may be, within a period of three working days from the generation of report.

(8) The designated officer shall communicate the result to the concerned party within the said period of three days from the date of receipt of report both in case of referee laboratory, if the report is final or in case of third analysis report.".

6. In the said Order, in clause 32, sub-clauses (3), (4) and (5) shall be omitted.

7. In the said Order, in clause 32 A, sub-clauses (3), (4) and (5) shall be omitted.

[F. No. 1-16/2022 Fert Law]

YOGITA RANA, Jt. Secy.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part –II, Section 3, sub-section (ii) vide G.S.R. number 758(E) dated 25th September, 1985 and was last amended vide SO number 3922(E) dated 12th September,2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA